1

#### पट्टा आवंदन प्रार्थना पत्र

सरपय				
ग्राम पंचायत				
पंचायत समिति				
जिला –				
विषय: – मेरे कब्जाशुदा (पुश्तैनी) मकान का पट्टा चाहने बाबत्	पट्टा जारी करने	बाबत् / क	ञ्बाशुदा १	भूमि क
मान्यवर,				
पति जाति वार्ड नं	श्री / श्रीमती	<u></u>		पिता _

नाप

आबादी भूमि है, जिसकी नाप एवं पास पड़ोस निम्नानुसार है :-

सीमाएं

पूर्व में पश्यिम में उत्तर में दक्षिण में

निवासी हूँ। मेरा आबादी भूमि में लगभग ..... वर्षो से रिहायशी मकान/ कब्जाशुदा

मेरे उपरोक्तानुसार मकान / भूखण्ड हैं जो विवाद रहित हैं, जिस पर अन्य किसी की उजदारी नही है। मुझे पट्टे की आवश्यकता है और इससे पूर्व मैंने/मेरे परिवार इस मकान/भूखण्ड का पट्टा जारी नहीं करवाया है। अतः पट्टा जारी करने की कृपा करावें।

संलग्न :-

- 1. 100रू के स्टाम्प पर शपत्र
- 2. राशन कार्ड प्रति
- 3. परिचय पत्र की प्रतियों में
- 4. नक्शा ट्रेस तीन प्रतियों मे
- 5. रथल का फोटोग्राफ

	हस्ताक्षर
नाम	
पिता / पति	ſ <b></b>
निवासी वार्ड	नगाम

सरवर्क	
पंचायतपं. समिति	जिला सीमाह
दायर संख्या	divile
दिनाक दायर	
दिनाक फैसला	
अन	<u>विना</u>
मुस्तगीस / दिवादी	मुल्जिम / विवाद
डिकीदार	मदयून डिकी

इल्ल<mark>त</mark> / दावा इजराय

### सूची कागजात

क. सं.	मगजात का ब्यौरा	किता.	योग	हस्ताक्षर कागजात लेने वाले के
1	सरवर्क			· .
2	आवेदन पत्र			
3	नजरी नक्शा			
4	आज्ञायो की सूची मौका निरीक्षण रिपोर्ट			
5	मौका निरीक्षण रिपोर्ट		1	
6	पडोसी के बयान		7	
7	प्ररूप-22 (देखिये नियम 14) आपत्ति नोटिस			
8	शपत्र पत्र मय नौटेरी		1	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

मकान/प्लोट मालिक का नाम व पता :--

纲
पुत्र श्री
जाति
निवासी ग्राम
ग्राम पंचायत
पंचायत समिति
तहसील
जिला


मकान/प्लोट के पड़ोस :-

उतर :-

दक्षिण :-

पुर्व :-पश्चिम :-

-: नजरी नक्शा -:



नाप -

दिनाक .....

हस्ताक्षर प्रार्थी

र्गार्यालयः ग्राम पंचायत .....पं. स. जिला – जोधपुर

## आशाओं की सूची

दिनाक	कार्यवाही का विवरण	आगामी सुनवाई की दिनाक	हस्ताक्षर
	प्राथी श्री/श्रीमती	3144 41 14 147	GAALIGIA
	पुत्र/पुत्री/पत्नी श्रीजाति		
	निवासी ने पंचायत राज		
	नियम 1996 के नियम 145 के अंतर्गत		
	पंचायत आबादी भुमि जो गाँवमे		
	रिथत है का पुराना पुश्तैनी कब्जा सुदा		
	मकान है जिसका पहा बनाने का निवेदन		1
	किया है। साथ में ज आवेदन शुक्क .		
	रू नवशा फीस वरू मौका निरिक्षण		
	फीस निराम ६० के अनुसार गंगाना निरक्षण		
	फीस नियम 68 के अनुसार पंचायत रसीद		
	नं दिनाकके द्वारा जमा करवाए		
	है। एस पर सदन ने सर्व सहमती से		
	निर्णय लिया कि प्रार्थी का प्राथना पत्र		
	मिसल प्रपत्र 21 रिजस्टर में दर्ज कर		
	नक्शा बनाते समय सरपंच च एक बार्ड		
	पंच को साथ रखा जावे।		
	मिसल सवर्षश्री / श्रीमती		
	पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री		
	जातिनिवासीकी नक्शा		
	बना कर सदन में प्रस्तुत की गई। एस		
	पर सदन ने पंचायतीराज अधिनियम 1994		
	की धारा 63 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के		
	अनुसार पंचायती राज नियम 1996 के		
	नियम 157 के अंतर्गत उपरोक्त आवेदन		
	पर कार्यवाही करते हुए नियम 146 के		
	अनुसार प्रसतावित स्थल निरिक्षण हेत्।		
	वार्ड पंचों की समिति नियुक्त की गई।		1
	इस समिति में वार्ड पंच :-		
	(1) %]		
	(2) 别		
	(3)矧		
	नियुक्त किया गया व मिसल वार्ड पंच		
	श्री को सौपी गई		
	समिति के पंच आगामि बैठक में मौका		1
44 (4)	रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्णय सर्वसहमति		1
	से लिया गया।		

। वाण्यापति । अ

निवासी----पेश हुई पंचायत बैठक दिनाक .....के प्रस्ताव संख्या क नियमानुसार पंचायती राज नियम 140(2) के अनुसार गठित स्थल निरिक्षण समिति ने मौका जाँच कर नियम 146(3) के अनुसार राय दी है कि प्रस्तावित पुरतेनी कब्जा सुद भूखण्ड का पहा बनाने पर इसका नियम 3(क) के अनुसार ग्रामीणों के आने जाने की सुख-सुविधाओं की प्रभावित नहीं करता है। इसी नियम के उपनियम के अ(ख) के अनुसार यह विक्रय अन्य व्यक्तियों के सुखाचार सम्बन्धि अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है तथा 3(ग) के अनुसार यह विक्रय गाँव की स्वय्छता सुन्दरता की प्रभावित की करता है। तथा उनत भूखण्ड पर आवेदनकर्ता का ही कहना है। अन्य किसी का कब्जा नहीं है। प्रस्तावित भूखण्ड का सलंग्न नक्शा माप के अनुसार सही है । भूखण्ड पर प्राची का पृथ्तैनी मकान 50 वर्षों के दौरान बना हुआ है। संकान पर प्राथी का पुश्तैनी कब्जा है । पंचायत बैठक में इस पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया । चूँकि भूखण्ड पर प्राची का पुराना सकान बना है फिर भी पारदर्शिता के लिए नियम 148 के अनुसार प्रपत्र 22 में सात दिन की आपत्तिया आमन्त्रित सूचना आरी की लाए।

कोई आपन्ति न आने पर बाद मियाद इस भ्रष्टण्ड का पट्टा बनाया जाने का निर्णय सर्वसहमति से तिया गर्छा ।

मिसस स. —वर्ष —— श्री/श्रीमती —— जाति —— जाति —— की सदन में पेश हुई । पंचायत बैठक दिलाक —— प्रस्ताव हा. —— के निर्णय अनुसार 148 के अंतर्गत प्रपत्र 22 में प्रस्तावित पुश्तैनी कब्जा सुदा भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु पंचार्यत पत्र क्रमांक —— दिलाक —— को आपित्तयां आमिन्त्रत मूचना जारी की गई हैं । पचायत के श्री —— को 2 मौत बरान के समक्ष सूचना चश्पा की हैं । इस हेतु इस सूचना की दूसरी प्रति पर उनके हस्ताक्षर करा चश्पा करने को प्रमाणित किया है तथा म्वयं भी हम्ताक्षर किये हैं ।

a⊋iu nani≥wa ni 194 is व क्षांत्र । यह कुन्नर पुरस्त है । यह उपरोजन पुश्तेनी कुछान का पहा बनाने के मंदर्श में किसी है ही। आपरित पेश नहीं की हैं । इसके बाद सदन दका। विधार विमर्श कर सर्व सहमति से निर्णय लिया गया कि पाथी क प्श्तैजी कब्जा सुद मकान 50 वर्षों के दौरान वना हुआ है फिर भी 2 गौत बरानों के बयान व प्राधी से 100/- है 🙉 शपथ पत्र प्राप्त करने के बाद पट्टे की राशि नियम-----के सदन द्वारा विचार विमर्श बाद सर्व सहमति से पारित किया मिसल स. -- वर्ष---श्रीश्रीमती---पत्र/पत्री/ पत्नि ----वाति-निवासी ----- की सदन में पेश हुई प्रांथी ने पंचायत प्रस्ताव स. ----दिनाक -----के विर्णयानुसार रू.--- पंचायत रसीद नं.--दिनाक ------कं द्वारा जमा करा दिए है। प्राधी को पुश्तेमी पड़ा बनाकर जारी करने का प्रस्ताव सदन द्वारा विचार दिसर् बाद सर्व सहमति सें पारित किया गया है। -दिनाक -आरी किया गया शिसल फोईस की जाते !

## निरिक्षण रिपोर्ट पंचगण

राजस्थान पंचायत-एव	<b>उ</b> ट के अधीन उ	गबादी भूमियो व	ने विकय सम	बन्धी, नियमानुसार
ग्राम पंचायतपंचायत स गई रिपोर्ट	मितिद्वारा बि	की की जाने वाली आ	ाबादी भूमि के सम	बन्ध में पंचगण द्वारा दी
हम पंचगण				
ग्राम पंचायत		आज दिनाक	समय	बजे दिन
के श्रीपु	র श्री	जाति	ग्राम	के दिये हुए
प्रार्थना पत्र तथा नक्शा जो कि	मिसल में संलग्न है	और प्राथी को चाही ग	ई भुमि लाल रग	से दिखाई गई है और
उस नक्शे के नीचे भूमि का क्षे				
हस्ताक्षर भी मीजूद है इस भूमि	। के निरीक्षण करने व	ो आज्ञा ता	को सरपंच स	गहिब ने ग्राम पंचायत की
मीटिंग द्वारा हमें दी गई थी।	हमनं बहुत सावधानी	पूर्वक उक्त भूमि का	निरिक्षण किया। इ	इसकी बिकी पंचायत को
कर देना / नहीं करनी चाहिए	क्यांकि एस भुमि के	केता के अधिकार में ज	ताने के नियम 37	के पैरा 5 (4) के अंस
क,ख,ग,घ, का अंग खण्डित न	ही होता है। रिपोर्ट नि	ारीक्षण हम पंचगण द्व	गरा सम्पादित की	हुई पंचायत मीटिंग में
उचित कार्यवाही करने हेतु श्री	मान सरपंच साहिब द्	वारा दी जाकर पेश है	1	
(1) हस्ताक्षर या. नि. व	अ. पंच. (2) हस्ताक्ष	र या. नि. अ. पंच.	(3) हस्ताक्षर या.	नि. अ. पंच.
			***************************************	
नोंट :- यह रिपोट हमारे द्व	गरा बतलाने पर सेके	टरी, पंचायत श्री	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ने अकित की
तारीख				कार्यालय ग्राम पंचायत
आज दिनांक	को उक्त नि	रेपोर्ट पंचगण सहिब ने	मेरे दवारा पंचाय	त में प्रस्तुत होने हेत् पेश
की गई। सेकेटरी पंचायत को				
6 द्वारा ग्राम निवासियों को उ	प्रचनार्थ चपरासी पंचा	यत द्वारा आम रास्ते ।	पर चस्पा करादे	और उसकी एक नकल दो
प्रतिष्ठित व्यक्तियों के हस्ताक्ष				
दी गई मुहत में कोई उजदारी	पेश हो तो उजदारी	की तारीख मीटिंग पंच	गयत से सूचित व	<b>ठ</b> रके मिसल पंचायत में
वैधानिक कार्यवाही के लिए पे	श करें।			
				हस्ताक्षर
महोदय,				
	ोख		की मुश्तरी पर	त्र जारी किया गया।
			remeditar di Amescali ma	
0				

कार्यालय ग्राम पंचायत .....पं. स. ........... जिला – जोधपुर मोका - रिपोर्ट श्री / श्रीमती ......पुत्र / पुत्री / पत्नि श्री ...... जाति - जोधपुर तहसील जिला के मकान / प्लोट का मोका निरीक्षण किया गया। प्राथी का हुआ है। जो निम्न पाड़ोसियान के बीच है -1. उतर - \_\_\_\_\_ फुट \_\_\_\_\_ 2. दक्षिण – \_\_\_\_\_ फੂਟ \_\_\_ – \_\_\_\_\_ फुट \_\_\_\_ फुट ..... उपरोक्त पड़ोसियान व नाप का मकान/प्लोट एनका पुश्तैनी कब्जासुदा है। जो ग्रामवासियों से जानकारी करने पर बताया कि एस मकान पर इनका ...... वर्षों से कब्जा है। मौके पर प्राथी का ही कब्जा हैं। एससे गब्जा साबित होता है। प्राथी इस मकान का पट्टा बनाना चाहाता है। अधिनियम 1996 नियम 157 के तहत पुराने कब्जासुदा पुश्तैनी मकान / प्लोट का पड्डा बनाना चाहता है।

अतः पहा ग्राम पंचायत ...... बनाकर देवे तो मौके पर किसी का कोई ऐतराज आया / नहीं

आया है। मौका रिपोर्ट पेश हैं।

#### पडोसी द्वारा बयान फार्म

	पुजारा पुचारा बयान फाम
मै	श्रीपुत्र श्रीजाती गाँव तहसील जिला गड भागार्थजाती गाँव तहसील
	वहसालजिलायह शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि :
1.	श्रीपुत्र श्रीसे पुश्तैनी आबादी भूमि के विनियम का
2.	मेरे जानकारी में इनका पुश्तैनी हिरसा इनके कब्जे में मौके पर सही है।
3.	इनके परिवार में भाईवंट का कोई विवाद नहीं है तथा इन्होंने किसी भाई / चचेरे भाई या अन्य परिजन का हिस्सा नहीं दबाया हुआ हैं।
4.	हमारे इनके बीच कोर्ट ज्यान कर किए - 6.4
	हमारे इनके बीच कोई जमीन का विवाद नहीं है। इनके प्लोट की सीमा से में सहमत हूँ। ये वर्षों से यहाँ पर काबिज है।
6.	इनका पहा दिये जाने पर मदो कोर्ट गेवराज नहीं है।
04114	त बयान मैने पुरे होश हवास से बिना नशे पते के भली भांति सोच समझकर दिये है तथा

हस्ताक्षर

प्रति हस्ताक्षर

# पडोसी द्वारा बयान फार्म

मै	श्रीपुत्र श्री जाती गाँव तहसील जिला गह भागभूति राष्ट्र के व
••••	गाव
7.	श्री पत्र श्री से एक्ट्री करना कर रे ००
	ं भारती और से दोवा सहा है।
	मेरे जानकारी में इनका पुश्तैनी हिस्सा इनके कब्जे में मौके पर सही है। इनके परिवार में भाईवंट का कोई विवाद नही है तथा इन्होंने किसी भाई / चचेरे भाई या
	ं यो हिस्स यहा देशी देश है।
10.	हमारे इनके बीच कोई जमीन का विवाद नहीं है। इनके प्लोट की सीमा से में सहमत हूँ।

11. ये ..... वर्षों से यहाँ पर काबिज है।

12. इनको पट्टा दिये जाने पर मुझे कोई ऐतराज नहीं है। उपरोक्त बयान मैने पुरे होश हवास से बिना नशे पते के भली भांति सोच समझकर दिये है तथा सहमति के रूप में हस्ताक्षर किये है।

## बयान फार्म

कार्यालय	
कार्यालयतहसीलजिलाजिलाजिला	
व मकदमा न	
तारीखव मुकदमा नंसनसनसन	
सोगासनसनसनसनसनसनसनसनसनसनसनसनसन	
में शपत्र पूर्वक सत्य सम्पूर्ण और शुद्ध सत्य कहूँगा। ईश्वर मेरी सहायता करे।	
नाम	
नामपुत्रजातिजातिजाति	
प्यवसाय	•••
व्यवसायनिवासीनिवासी	
प्रार्थी श्रीपुत्र श्री	
that the same of t	
किया है जो पूर्णत जायज है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा वर्षी से है जिसे	
मै वर्षों स देखन न क्या है। उपत मूम पर प्रार्थी का कब्जा वर्षों से है जिसे	
न प्राची पखता व सुनता आ रहा हूँ। इस भूमि पर किसी दूसरे का कोई 0: %	
मैं वर्षों स देखता व सुनता आ रहा हूँ। इस भूमि पर किसी दुसरे का कोई हक नहीं है। प्रार्थी को पट्टा दिया जाने पर किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए।	
ना कार प्राप्ताज नहां होना चाहिए।	
उक्त बयान मैंने अपनी मर्जी से व बिना किसी दबाब में दिये है।	
निया प्रिता दबाब म दिय है।	
उतर –	
दक्षिण –	
दाक्षण —	
पूर्व –	
पुर्व –	
पश्चिम —	
पश्चिम —	

प्रमाणित

बयानकर्ता के हस्ताक्षर

## बयान फार्म

बयान फार्म व इजलास ग्राम पंचायत जाय - ०००
बयान फार्म व इजलास ग्राम पंचायत न्याय उप—समितिपंचायत समिति तहसील – जिला दिंनाक दिंनाक
ब्यान गुन्न 🕒 🗘
बयान गवाह फरियादी मुलजिम मुदायलोजाति
१५ता का नाम
पिता का नामजातिसाकिनसाकिन
ने हलफ दिया व सवाल रा. पं. रा. अधिनियम,1996 के नियम 157ख में पुश्तैनी कब्जा सुदा मकान/ प्लोट श्री/श्रीमतीपुत्र/पुत्री/पित श्रीजाति
इन्होंने अपने भाइयों का बटवारा कर दिया है। इन्होंने अपने पड़ोसी का किसी प्रकार का
हक हिस्सा नहीं दबाया है और एस भूखण्ड पर किसी प्रकार का विवाद नहीं चल रहा है।
इन्होंने अपने — १०
इन्होने अपने पुश्तैनी कब्जा सुदा मकान का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा बनाया जाता है तो
हम किसी प्रकार की आपनि /
कोई जोर दबाब होण हताम में कि
कोई जोर दबाब, होश हवास में दिया है जो सनद रहे। वक्त जरूरत काम आवे।
जाव ।

# आबादी भूमि :-आपेक्ष आमत्रित करने का नोटिस प्रारूप 22(नियम 145 देखिए)

पंचायत	······································
पंचायत समिति –	जिला परिषद् -
	<u>नोटिस</u>
सं	दिंनाक :
इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि श्री	पुत्र/पुत्री
निवासीने इस पंचायत में बर्णि	त भूमिं का क्य करने के लिए आवेदन किया है :-
(भूमि	का विवरण)
उतर –	
दक्षिण	
पुर्व –	
पश्चिम - ,	
यदि किसी को भी यदि किसी को भी उ	पर उल्लिखित के विकय पर कोई आपेक्ष हो तो फाईल कर देने चाहिए।

पंचायत की मोहर

सरपंच हस्ताक्षर